



निष्कासन (Expulsion) निष्कासन के बारे में माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए जानकारी



Government of South Australia
Department for Education

Hindi / हिन्दी

निष्कासन से तात्पर्य स्कूल कम्युनिटी के सदस्यों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भलाई के लिए असहनीय खतरा पैदा करने वाले व्यवहार के प्रति की जाने वाली सबसे लंबी और गंभीर प्रतिक्रिया से है।

यदि छात्र को उसके अपने स्कूल से निष्कासित किया जाता है, तो वह 6 से 18 महीने की अवधि के लिए स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता है। यह निर्णय प्रिंसिपल, या उनके उनकी ओर से काम करने वाले किसी कर्मचारी द्वारा लिया जाता है।

यदि निष्कासन सभी सरकारी स्कूलों से होता है, तो छात्र 12 महीने से 5 साल की अवधि के बीच में किसी भी सरकारी स्कूल में शामिल नहीं हो सकता है। ये निर्णय शिक्षा विभाग के मुख्य कार्यकारी द्वारा लिया जाता है।

केवल 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के छात्रों को ही निष्कासित किया जा सकता है।

यदि मेरी संतान को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

आपकी संतान को स्कूल से निष्कासित करने का निर्णय लेने से पहले प्रिंसिपल द्वारा उन्हें 20 दिनों के लिए निलंबित करने की आवश्यकता होगी। इसे 'निलंबन लंबित निर्देश' कहा जाता है।

यदि प्रिंसिपल ऐसा चाहते हैं कि मुख्य कार्यकारी आपकी संतान को सभी सरकारी स्कूलों से निष्कासित किए जाने पर विचार-विमर्श करें, तो उन्हें पहले आपकी संतान को 30 दिनों के लिए निलंबित करना होगा।

उस 20 या 30 दिन के निलंबन के भीतर, 'निर्देश सम्मेलन' मीटिंग आयोजित की जाएगी ताकि:

- आप, आपकी संतान और स्कूल संपूर्ण जानकारी और अन्य सभी लोगों के दृष्टिकोण सुन सकें
- संबंधित व्यवहार के प्रति सबसे उचित दृष्टिकोण के बारे में निर्णय लिए जा सकें।

प्रिंसिपल द्वारा आपकी संतान को निष्कासित करने और संपूर्ण घटना की जानकारी को साझा करने के लिए स्कूल आपसे संपर्क करेगा।

यह महत्वपूर्ण है कि घटना के सभी पक्षों को सुना जाए और अपनी संतान और उसके स्कूल के साथ मिलकर काम किया जाए। इससे निम्नलिखित करने में मदद मिल सकती है:

- शांत रहने में
- घटना के बारे में अपनी संतान से बातचीत करने में
- घटना के बारे में स्कूल से बातचीत करने में।

निर्देश सम्मेलन की तैयारी के लिए स्कूल और अपनी संतान के साथ मिलकर काम करें (निर्देश सम्मेलन के बारे में जानकारी के लिए पृष्ठ 2 देखें)।

वे कारण जिनके आधार पर प्रिंसिपल निष्कासन के बारे में सोच सकते हैं

निष्कासन सबसे गंभीर प्रतिक्रिया जिसे किया जा सकता है।

निष्कासन का उपयोग स्कूल कम्युनिटी के सदस्यों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भलाई के लिए असहनीय खतरा पैदा करने वाली परिस्थितियों में किया जाता है।

संपूर्ण घटना की जानकारी एकत्रित करना

प्रिंसिपल द्वारा संपूर्ण घटना को समझाने में मदद के लिए स्कूल जानकारी एकत्रित करेगा।

वे आपकी संतान का दृष्टिकोण जानने का प्रयास करेंगे।

स्कूल इस बारे में अपनी ओर से सहयोग देने की पूरी कोशिश करेगा कि आपकी संतान संपूर्ण किस्से के बारे में अपने विचार कब और कैसे साझा करती है।

निष्कासन (Expulsion) निष्कासन के बारे में माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए जानकारी

प्रिंसिपल द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है

प्रिंसिपल को निष्पक्ष निर्णय लेना होगा। अपना निर्णय लेने से पहले उन्हें बहुत सी चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए:

- अन्य लोगों से जानकारी
- आपकी संतान का दृष्टिकोण
- व्यवहार की गंभीरता और यह कितनी बार-बार होता है
- आपकी संतान की ज़रूरतें और उन्हें सुरक्षित और सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने में किस प्रकार का समर्थन दिया गया है।

कानून इस बारे में क्या कहता है

कानून (शिक्षा और बाल सेवा अधिनियम 2019) (Education and Children's Services Act 2019) के तहत प्रिंसिपल द्वारा किसी छात्र को निष्कासित तभी किया जा सकता है यदि उन्हें लगे कि छात्र द्वारा:

- हिंसा हुई है या उसने हिंसा की धमकी दी है
- ऐसा व्यवहार प्रदर्शित हुआ है जो स्कूल से संबंधित किसी छात्र, स्टाफ सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा या भलाई के लिए खतरा पैदा करता है (उदाहरण के लिए बुलिंग [डराना-धमकाना], यौन उत्पीड़न, ज़बानी दुर्व्यवहार, जातीय दुर्व्यवहार)
- गैरकानूनी ढंग से काम किया गया है
- अध्यापन और अध्ययन बाधित हुआ है।

कानून (शिक्षा और बाल सेवा अधिनियम 2019) (Education and Children's Services Act 2019) के तहत मुख्य कार्यकारी द्वारा किसी छात्र को निष्कासित तभी किया जा सकता है यदि उन्हें लगे कि छात्र द्वारा:

- हिंसा हुई है या उसने हिंसा की धमकी दी है
- ऐसा व्यवहार प्रदर्शित हुआ है जो स्कूल से संबंधित किसी छात्र, स्टाफ सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा या भलाई के लिए खतरा पैदा करता है (उदाहरण के लिए बुलिंग [डराना-धमकाना], यौन उत्पीड़न, ज़बानी दुर्व्यवहार, जातीय दुर्व्यवहार)
- गैरकानूनी ढंग से काम किया गया है।

स्कूल आपसे बातचीत करेगा

आपकी संतान को लंबित निर्देशों के आधार पर निलंबित करने का निर्णय लेने के बाद प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की ओर से काम करने वाले कोई अन्य स्टाफ सदस्य यथाशीघ्र आपसे संपर्क करेंगे।

वे आपसे और आपकी संतान से निम्नलिखित के बारे में बातचीत करेंगे:

- प्रिंसिपल द्वारा निष्कासन पर विचार किए जाने के कारण
- निलंबन लंबित निर्देश की अवधि (20 या 30 दिन)
- यह कि निलंबन की अवधि के दौरान आपकी संतान स्कूल परिसर में उपस्थित नहीं हो सकती है
- यह कि स्कूल आपको लिखित नोटिस और इस तथ्य शीट पत्र की एक प्रति प्रदान करेगा

- निर्देश सम्मेलन से क्या उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि, वहाँ कौन-कौन उपस्थित होगा
- यह कि आप किसी सहायक व्यक्ति या पक्षसमर्थक को निर्देश सम्मेलन में ला सकते/सकती हैं। यदि आप यह चाहें तो स्कूल आपको स्कूल-आधारित पक्षसमर्थक प्रदान कर सकता है
- यह कि निर्देश सम्मेलन से पहले कोई स्टाफ सदस्य आपसे और आपकी संतान से संपर्क करेगा।

स्कूल आधारित पक्षसमर्थक

स्कूल-आधारित पक्षसमर्थक आपकी संतान के स्कूल का स्टाफ सदस्य ही होता है। वह निम्नलिखित कर सकता/सकती है:

- निर्देश सम्मेलन में भाग लेने में आपकी और आपकी संतान की सहायता करना
- निर्देश सम्मेलन से पहले आपके और आपकी संतान की राय लेना
- निर्देश सम्मेलन में लोगों को आपकी और आपकी संतान की राय के बारे में बताना
- निर्देश सम्मेलन द्वारा आपकी संतान के लिए सर्वोत्तम चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होना सुनिश्चित करने में मदद प्रदान करना
- लिए गए निर्णयों को, आगे की जानकारी को और यदि आपकी संतान को निष्कासित किया जाता है तो आपके द्वारा अपील करने के अधिकार को समझने में मदद प्रदान करना
- निलंबित अवधि के दौरान आपकी संतान को स्कूल से जुड़े रखने में मदद प्रदान करना
- यदि आपकी संतान निष्कासन अवधि समाप्त होने के बाद स्कूल वापस आती है तो उसे निष्कासन के अंत में स्कूल से दोबारा जुड़ने में मदद प्रदान करना।

निलंबन लंबित निर्देश

आपकी संतान घर पर आपकी देखभाल के तहत रहेगी।

निलंबन के दौरान स्कूल द्वारा आपकी संतान को स्कूल कार्य प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

स्कूल द्वारा कार्य प्रदान करने का निर्णय लिया जा सकता है यदि इससे आपकी संतान को लाभ हो तो।

निर्देश सम्मेलन

निर्देश सम्मेलन में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे:

- आप
- आपकी संतान
- स्कूल स्टाफ
- छात्र समर्थन सेवाओं या एबोरिजिनल शिक्षा सेवाओं से शिक्षा विभाग के कर्मचारी।

निष्कासन (Expulsion) निष्कासन के बारे में माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए जानकारी

निर्देश सम्मेलन से पहले प्रिंसिपल द्वारा निम्नलिखित पर
विचार-विमर्श किया जाएगा:

- कौन सी सेवाएँ आपकी संतान को मदद प्रदान कर सकती हैं। यदि स्कूल निर्देश सम्मेलन में शिक्षा विभाग, अन्य सरकारी विभागों या कम्युनिटी-आधारित संगठनों से अन्य सेवाओं को आमंत्रित करना चाहता है तो वे इसके लिए आपकी अनुमति मांगेंगे।
- छात्र समर्थन सेवाओं का निर्देश सम्मेलन में उस समय भाग लेना आवश्यक होगा जब किसी प्रिंसिपल द्वारा एबोरिजिनल छात्रों, विकलांग छात्रों और देखभाल के तहत छात्रों के निष्कासन पर विचार किया जा रहा हो।
- आपकी संतान की आयु के आधार पर शैक्षिक या ट्रेनिंग मार्गदर्शन
- किस चीज से सभी को निर्देश सम्मेलन में भाग लेने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि दुभाषिया की आवश्यकता है।

निर्देश सम्मेलन में आपको और आपकी संतान को निम्नलिखित के लिए अवसर मिलेगा:

- व्यवहार संबंधी स्कूल की चिंताओं को सुनना
- चिंताओं पर प्रतिक्रिया देना
- कोई अन्य ऐसी जानकारी प्रदान करना जिसपर आप चाहते/ती हों कि निष्कासन का निर्णय लेते समय प्रिंसिपल द्वारा विचार किया जाए
- आपकी संतान द्वारा व्यवहार संबंधी नुकसान की भरपाई करने पर चर्चा करना।

प्रिंसिपल द्वारा तब निम्नलिखित निर्णय लिया जा सकता है:

- आपकी संतान को उसके स्कूल से निष्कासित करना
- आपकी संतान को सभी सरकारी स्कूलों से निष्कासित किए जाने संबंधी मुख्य कार्यकारी को सिफारिश करना।

यदि प्रिंसिपल द्वारा आपकी संतान को निष्कासित नहीं करने का निर्णय लिया जाता है, तो वह उसे 4 से 10 सप्ताह के लिए बहिष्कृत करने का निर्णय ले सकते हैं। आप बहिष्करण के बारे में और अधिक जानकारी बहिष्करण के बारे में **माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए जानकारी के तथ्क पत्रक** पर प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

यदि प्रिंसिपल द्वारा आपकी संतान को निष्कासित या बहिष्कृत नहीं करने का निर्णय लिया जाता है, तो वे निलंबन के अंत में स्कूल वापस आ सकते हैं।

आपके और आपकी संतान के साथ मिलकर व्यवहार समर्थन योजना विकसित की जाएगी।

व्यवहार समर्थन योजना

व्यवहार समर्थन योजना आपकी संतान के सुरक्षित और सकारात्मक व्यवहार में सहायता देने के लिए विकसित की गई है। योजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- आपकी संतान के सुरक्षित और सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक कौशल
- आपकी संतान ये कौशल कैसे सीखेगी और इसमें उसकी मदद कौन करेगा
- जब आपकी संतान इस कौशल को सीख रही है और इसका अभ्यास कर रही है तो उस समय चीजें सुरक्षित और सकारात्मक कैसे हो सकती हैं
- आपकी संतान की प्रगति के बारे में सभी को कैसे पता चलेगा
- यदि भविष्य में आपकी संतान के व्यवहार को लेकर कोई चिंता हो तो उसका समर्थन कैसे किया जाएगा
- सभी की भूमिकाएँ।

यदि आपकी संतान के पास पहले से ही वन प्लान (One Plan) है, तो उनकी व्यवहार समर्थन योजना को वन प्लान में शामिल किया जा सकता है।

निष्कासन अवधि के दौरान

यदि आपकी संतान को उसके स्कूल से निकाल दिया गया है और उसकी आयु 17 वर्ष से कम है, तो उसे अपनी अनिवार्य शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकल्प प्रदान किए जाएंगे।

यदि आपकी संतान की आयु अनिवार्य शिक्षा आयु (17 वर्ष और इससे अधिक) से ऊपर हो गई है, तो प्रिंसिपल द्वारा उसे शिक्षा के लिए विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है।

आपको और आपकी संतान को समर्थन प्रदान करने के लिए अन्य शिक्षण और मार्गदर्शकों के बारे में निर्णय लेने के लिए जानकारी दी जाएगी।

यदि आपकी संतान को उसके स्कूल से निष्कासित किया गया है और उसकी आयु 17 वर्ष है, तो प्रिंसिपल द्वारा उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है।

यदि आपकी संतान को सभी सरकारी स्कूलों से निष्कासित किया गया है, तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

निष्कासन अवधि के अंत में, यदि आपकी संतान की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो वह वयस्क शिक्षा विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

आप यह जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट <https://www.education.sa.gov.au/> पर 'Adult Enrolment Policy' (वयस्क नामांकन पॉलिसी) सर्च करके प्राप्त कर सकते/ती हैं।

निष्कासन (Expulsion) निष्कासन के बारे में माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए जानकारी

निष्कासन के बाद स्कूल के साथ रिकनेक्ट (पुनर्संयोजन) करना

आपकी संतान अपनी निष्कासन अवधि समाप्त होने के बाद अपने स्कूल के साथ रिकनेक्ट करने में सक्षम हो सकती है। यह आपकी संतान की निष्कासित अवधि और उसकी आयु पर निर्भर करेगा।

स्कूल के साथ पुरिकनेक्ट करने की संभावना के बारे में बात करने के लिए आपको और आपकी संतान को निष्कासन समाप्त होने से 8 सप्ताह पहले स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करना होगा।

यदि प्रिंसिपल यह फैसला लेते हैं कि आपकी संतान के वापस लौटने की संभावना है, तो रिकनेक्शन मीटिंग आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य निम्नलिखित होता है:

- सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन का समर्थन करना
- व्यवहार से क्षतिग्रस्त रिश्तों को सुधारना
- उनके व्यवहार समर्थन योजना या वन प्लान की समीक्षा करना
- व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं को समझने में आपकी संतान की मदद करना
- आपकी संतान की सहायता करने वाले समर्थनों की पहचान करना।

यदि आप अपनी संतान के स्कूल लौटने से पहले रिकनेक्शन मीटिंग में भाग नहीं ले सकते/सकती हैं तो:

- मीटिंग आयोजित होने तक आपकी संतान वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम पर स्कूल वापिस आएगी

या

- किसी अन्य तरीके द्वारा व्यवहार समर्थन योजना को विकसित या अपडेट किया जाता है।

आपके लिए उपयुक्त दिन और समय के अनुसार स्कूल द्वारा रिकनेक्शन मीटिंग की व्यवस्था करने का प्रयास किया जायेगा। यदि आप रिकनेक्शन मीटिंग में शामिल होने से मना करते/करती हैं या आप उपलब्ध नहीं हैं, तो स्कूल आपके बिना ही आपकी संतान के लिए अध्ययन कार्यक्रम और व्यवहार समर्थन के बारे में निर्णय ले सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

एक जैसे व्यवहार के लिए भी बच्चों के साथ अलग-अलग तरीके से पेश आया जा सकता है

जब कोई प्रिंसिपल छात्र के व्यवहार पर सर्वोत्तम प्रतिक्रिया के बारे में सोचता है, तो उन्हें हर चीज़ को देखने और इसमें शामिल सभी व्यक्तिगत छात्रों के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। ऐसा हो सकता है कि दो बच्चों ने एक ही जैसा व्यवहार किया हो, लेकिन फिर भी प्रत्येक बच्चे के साथ अलग तरीके से पेश आना उचित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 2 बच्चे लड़ रहे थे, तो एक को निष्कासित या बाहर किया जा सकता है और दूसरे को नहीं।

ऐसा व्यवहार जो स्कूल में घटित नहीं हुआ

स्कूल समय के बाहर और स्कूल के बाहर हुए व्यवहार के लिए आपकी संतान को निलंबित तब किया जा सकता है यदि आपकी संतान के व्यवहार और स्कूल या स्कूल के रिश्तों के बीच में उचित संबंध साबित हो।

निलंबित होने या बहिष्कृत किए जाने के दौरान आपकी संतान स्कूल परिसर में उपस्थित नहीं रह सकती है

निलंबित, निष्कासित या बहिष्कृत किए जाने की अवधि के दौरान आपकी संतान का स्कूल परिसर में उपस्थित रहना गैर-कानूनी है। स्कूल परिसर में उपस्थित रहने से आपकी संतान द्वारा आपराधिक गुनाह किया जाता है।

आपकी संतान निर्देश सम्मेलन और रिकनेक्शन मीटिंग में भाग लेने के लिए स्कूल परिसर में उपस्थित हो सकती है।

यदि आपकी संतान के पास स्कूल परिसर में उपस्थित होने के अन्य उचित कारण हैं, उदाहरण के लिए:

- स्कूल परिसर में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ प्राप्त करना
 - किसी सहमत वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेना,
- प्रिंसिपल द्वारा लिखित रूप में इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

किसी अन्य स्कूल में नामांकन

निष्कासित अवधि के दौरान आप अपनी संतान का नामांकन किसी अन्य स्कूल में नहीं कर सकते/ती हैं। निष्कासन के बाद वे नए स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। वर्तमान स्कूल और नए स्कूल का प्रिंसिपल आपकी संतान के व्यवहार के बारे में बातचीत करेंगे और दोनों स्कूलों, आपके और आपकी संतान के बीच एक व्यवहार समर्थन योजना बनायी जाएगी।

यदि आप प्रिंसिपल द्वारा आपकी संतान को निष्कासित करने के निर्णय से अप्रसन्न हैं

आप, आपकी संतान या आपके या आपकी संतान के अनुरोध पर कोई वयस्क कार्यकारी निष्कासन के विरुद्ध अपील कर सकता/सकती है।

यदि आपको निम्नलिखित प्रतीत होता है तो आप प्रिंसिपल द्वारा आपकी संतान के निष्कासन के निर्णय, या मुख्य कार्यकारी द्वारा आपकी संतान को सभी सरकारी स्कूलों से निष्कासित करने के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते/सकती हैं:

- प्रिंसिपल या मुख्य कार्यकारी द्वारा गलत जानकारी के आधार पर आपकी संतान को निष्कासित किया गया है। उदाहरण के लिए, आपकी संतान ने वे व्यवहार नहीं किए हैं जिसके लिए उसे निष्कासित किया गया है
- स्कूल द्वारा सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, स्कूल ने निर्देश सम्मेलन आयोजित ही नहीं किया

निष्कासन (Expulsion) निष्कासन के बारे में माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए जानकारी

- निष्कासन अवधि काफी लंबी है। उदाहरण के लिए, निष्कासन की अवधि आपकी संतान को स्कूल में सुरक्षित रूप से वापस लौटने के लिए स्कूल द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान किये जाने से अधिक लंबी है।
- निष्कासन की शर्तें आपकी संतान की ज़रूरतों पर खरा नहीं उत्तरती हैं।

आपको आपकी संतान के निष्कासन के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया निर्देश सम्मेलन में समझाई जानी होगी। स्कूल आपको अपील फॉर्म प्रदान करेगा।

यदि आप प्रिंसिपल द्वारा आपकी संतान को स्कूल से निष्कासित किये जाने के निर्णय के खिलाफ अपील करने का फैसला लेते/ती हैं, तो आपको निर्देश सम्मेलन के 10 स्कूली दिनों के अंदर मुख्य कार्यकारी को कागजी कार्रवाई प्रदान करनी होगी।

यदि आप मुख्य कार्यकारी द्वारा आपकी संतान को सभी सरकारी स्कूलों से निष्कासित किये जाने के निर्णय के खिलाफ अपील करने का फैसला लेते/ती हैं, तो आपको निर्देश सम्मेलन के 10 स्कूली दिनों के अंदर शिक्षा मंत्री को कागजी कार्रवाई प्रदान करनी होगी।

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क विवरण

आप निष्कासन और अपील प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी निम्नलिखित द्वारा प्राप्त कर सकते/सकती हैं:

- अपने स्थानीय शिक्षा कार्यालय से संपर्क करके
- शिक्षा विभाग को 82261000 पर फ़ोन करके
- शिक्षा विभाग की वेबसाइट <https://www.education.sa.gov.au/> पर 'मुख्य कार्यकारी को' की सर्च करके।

अतिरिक्त समर्थन

अतिरिक्त समर्थन के लिए आप अभिभावक हेल्पलाइन फ़ोन 1300 364 100 (24 घंटे सेवा उपलब्ध) से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

यदि आपकी संतान को किसी से बातचीत करने की आवश्यकता है, तो आप उन्हें निम्नलिखित से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते/सकती हैं:

- हेडस्पेस (Headspace)**
12 से 25 वर्ष के बच्चों और युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन। फ़ोन: 1800 650 890
- बच्चों के लिए हेल्पलाइन (Kids Helpline)**
5 से 25 वर्ष के बच्चों और युवाओं के लिए समकक्ष समर्थन, स्व-सहायता संसाधन और फ़ोन और ऑनलाइन परामर्श। फ़ोन: 1800 55 1800